अग्रिम जमानत आवेदन सं०– 500/26
कराय परसुराय थाना काण्ड सं०– 76/26

प्रसग था। आवेदक दिनांक 25/03/2026 को सुबह 4 बजे पीड़िता को अपने साथ लेकर नेपाल चला गया जहाँ दोनो ने मंदिर मे शादी कर ली तथा वहाँ पर एक महीने तक पति पत्नी के रूप मे रहने लगे। प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी पर पीड़िता द्वारा संबंधित थाने के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दिया गया। चूकि पीड़िता नाबालिग है जिसकी उम्र 13 वर्ष है तथा आवेदक 24 वर्ष का बालिग युवक है। काण्ड अभी अनुसंधानान्तर्गत है। पीड़िता के कथनानुसार स्वयं वह पति पत्नी के रूप मे आवेदक के साथ एक महीने तक नेपाल मे रही है।

अत उपरोक्त समस्त तथ्यों, मामले की परिस्थितियो तथा अनुसंधान के इस क्रम पर आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अत आवेदक के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित एव सशोधित)

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)

श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 500/26
कराय परसुराय थाना काण्ड सं0– 76/26

नितिश कुमार.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

01/06/2026 आवेदक (1) नितिश कुमार पिता राजेन्द्र रविदास, उम्र 24 वर्ष, ग्राम बेरथू, थाना कराय परसुराय, जिला नालन्दा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अनील कुमार द्वारा संचालित किया गया। आवेदक कराय परसुराय थाना कांड सं0– 76/26, दिनांक 28/03/26 को भा0न्या0सं0 की धारा– 137(2), 140(3) के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदक की ओर से यह जमानत याचिका पहली बार दायर की जा रही है। इससे पहले न तो श्रीमान् के न्यायालय में और न ही किसी अन्य उच्च न्यायालय में अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर की गई है और न ही लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किए हैं। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठा और मनगढंत है। आवेदक को स्थानीय ग्रामीण राजनीति के तहत इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए धारा– 140(3) बी0एन0एस0 को छोड़कर अन्य धारायें जमानतीय हैं। इस वाद में पीड़िता को बरामद कर लिया गया है, जिसने मामले का समर्थन नहीं किया है। दरअसल, किसी ने उसका अपहरण नहीं किया, बल्कि किसी प्रेम प्रसंग के कारण वह स्वयं चली गई थी। आवेदक के विरुद्ध पूर्व से कोई और आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक धारा– 482(2) बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः किसी भी राशि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

सूचक मुन्ना रविदास द्वारा थाना में दिया गया आवेदन के अनुसार दिनांक 25/03/2026 को सूचक की पुत्री (अपहृता) उम्र 16 वर्ष 4 बजे भोर में शौच करने घर से बाहर गई थी तब से सूचक की पुत्री घर वापस नहीं आई। सूचक काफी इधर–उधर सभी रिश्तेदार तथा परिवार के यहाँ जाकर खोज–बीन किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। बाद में पता चला कि विनेका पाली गाँव, थाना कादीरगंज का निवारी निवास कुमार, पिता लल्ली रविदास ने उसकी पुत्री को भगाने में इसका हाथ है। सूचक और उसके परिवार के लोग इनसे पूछ–ताछ किए तो बताए कि आपकी लड़की को हमने नहीं भगाया है, बल्कि आपकी लड़की को नीतिश कुमार पिता राजेन्द्र रविदास लेकर भाग गया है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक पर सूचक की नाबालिग पुत्री को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है। काण्ड दैनिकी के साथ संलग्न उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेरथू, पखण्ड कराय परसुराय, जिला नालन्दा के प्रमाण–पत्र के आलोक में पीड़िता की जन्म तिथि 03/06/2013 है। इस आधार पर घटना के समय उसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है। मूल अभिलेख के साथ संलग्न पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा– 183 बी0एन0एस0एस0 एवं काण्ड दैनिकी के साथ संलग्न पीड़िता का बयान धारा– 180 बी0एन0एस0एस0 के बयान का अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से यह विदित होता है कि पीड़िता एवं आवेदक के बीच प्रेम